भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 282
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को उपज के परिवहन में आने वाली कठिनाइयाँ

282. श्री अ. मनिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को अपनी उपज बाज़ारों तक ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपनी उपज का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने हेतु मुख्य बाज़ारों तक ले जाने हेतु परिवहन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन विकल्पों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार विचार कर रही है ताकि किसान अपनी उपज को आसानी से मुख्य बाज़ारों तक ले जाकर अधिक लाभ कमा सकें; और

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु सहित देश भर के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि और एग्री मार्केटिंग राज्य का विषय है। तथापि, किसानों की उपज को मुख्य बाज़ार तक पहुँचाने संबंधी परिवहन की समस्या का समाधान करने हेतु, भारत सरकार तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि किसान-उपभोक्ता बाज़ार, प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों/अन्य थोक खरीदारों द्वारा सीधी खरीद और एकत्रीकरण व सामूहिक विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन, फ़ार्म-गेट ऐप के जरिए राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) के माध्यम से बिक्री आदि जैसे वैकल्पिक मार्केटिंग चैनलों के विकास के माध्यम से किसानों को उनके खेत/गाँवों के पास ही बाज़ार उपलब्ध कराया जा सके।

(घ): सरकार किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 6-सूत्री कार्यनीति यथा; उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, फसल नुकसान की भरपाई करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख स्कीमें/कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

i. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
ii. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
iii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
iv. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
v. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
vi. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
vii. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
viii. नमो ड्रोन दीदी
ix. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
x. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

xi. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
xii. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
xiii. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
xiv. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
xv. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
xvi. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
xvii. कृषि वानिकी
xviii. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
xix. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएएमई)
xx. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
xxi. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
xxii. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
xxiii. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
xxiv. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
xxv. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
xxvi. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
xxvii. डिजिटल कृषि मिशन
xxviii. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****